रजिस्ट्री सं० डी०--(डी)---73 REGISTERED NO. D--(D)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 5, 1979 (वैशाख 15, 1901)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5, 1979 (VAISAKHA 15, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4
PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचना सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

लेखा और व्यय विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 5 मई 1979

दिनांक 18 दिसम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की खो, आदि गई प्रतिभूतियों की (31 दिसम्बर 1977 को समाप्त हुई तिमाही की सूची के संबंध में शुद्धि-पत्र

सूची	पृष्ठ सं०	प्रतिभूति की संख्या	ऋण	मूल्य रु०/ग्राम	स्तम्भ सं०	निम्नलिखित के लिए	निम्नलिखित पढ़िए
1	2	3	4	5	6	7	8
क	2	डी० एच० 000526	राष्ट्रीय विकास स्वर्ण बाण्ड 1980 "बी" सीरीज़	95 ग्राम स्वर्ण	1	*डी० एच० 000526	डी० एच० 000526
क	2	एम० एस० 047258	राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड 1980 "बी" सीरीज़	7 ग्राम	3	आई० विजयकुट्टी (नाबालिग)	आई० विजयकुट्टी (नाबालिग)

1	2	3	4	5	6	7	8
ख	3	बी०वाई० 391850	3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946	500	7	20दिसम्बर 1975	20 सितम्बर 1975
ख	4	बी०वाई० 416626	3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946	5,000	3	देना बैंक लिमिटड	देना बैंक लिमिटेड
ख	4	—	3 प्रतिशत प्रथम विकास ऋण, 1970-75	—	शीर्षक	3 प्रतिशत प्रथम विकास ऋण, 1970-75	3 प्रतिशत प्रथम विकास ऋण, 1970-75
ख	7	बी० वाई० 075876	3½ प्रतिशत राष्ट्रीय योजना ऋण, 1964	200	7	नवम्बर	—
ख	8	बी० वाई० 011558	3 प्रतिशत राष्ट्रीय योजना बांड (दूसरी सीरीज) 1965	10,900	5	कार्यकारी इंजीनियर डाक पत्थर	कार्यपालक इंजीनियर डाक पत्थर
ख	10	बी० वाई० 006060	राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980 "ए" सीरीज	1374 ग्राम	3	विनोद शिवप्रसाद वद	विनोद शिवप्रसाद वैद
ख	14	सी० ए० 312273	3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946	1,000/-	6	फाइल संख्या 1 2195	फाइल संख्या I 2195
ख	14	सी० ए० 200512	3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण, 1946	25,000/-	3	मैया साहेबा राजकुमारी देवी	मैया साहेबा राज कुमारी देवी
ख	19	डी० एच० 000296	राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड, 1980 "बी" सीरीज	2 ग्राम स्वर्ण	4	11-3-966	11-3-1966
ख	19	डी० एच० 000296	राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड, 1980 "बी" सीरीज	2 ग्राम स्वर्ण	6	दिनांक 24-9-19	दिनांक 24-9-1976
ख	19	डी० एच० 000738	4 प्रतिशत ऋण, 1969	500/	7	24-5-197	24-5-1975
ख	19	डी० एच० 000019	4½ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968	100/-	4	12-11-1975	12-11-1965
ख	19	डी० एच० 000019	4½ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968	100/-	5	मोहिन्द्र सिंह जैन	मोहिन्द्र कुमार जैन
ख	20	डी० एच० 008970	राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड 1980 "ए" सीरीज	2 ग्राम स्वर्ण	6	दिनांक 2-6-1976	दिनांक 29-5-1974
ख	24	एम० एस० 016713	राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड 1980 "बी" सीरीज	20 ग्राम	5	वी० के० कुप्पुस्वामी	वी० के० कुप्पुस्वामी
ख	26	एच० डी० 000155	3½ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा बाण्ड 1972	1000/-	5	श्री मालेश्वर स्वामी मंदिर अर्द्धवरम	श्री मालेश्वर स्वामी मंदिर अर्धवरम
ख	27	—	—	—	—	एम० वी० हाट मुख्य लेखाकार	एम० वी० हाटे मुख्य [illegible]

कृषि ऋण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई 400018, दिनांक 20 अप्रैल 1979

सं० एसीडी० 49/ए–18-78/9—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 खंड (जेडए) के साथ पठित धारा 36 ए की उप धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित सहकारी बैंक उक्त अधिनियम के तात्पर्य के भीतर सहकारी बैंक नहीं रह गये हैं :—

क्रम सं०	प्राथमिक सहकारी बैंक का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1.	श्री स्टेट ट्रान्सपोर्ट कर्मकारीओनी धिराण एण्ड ग्राहक सहकारी मंडली लिमिटेड एस० टी० डीविजनल कन्ट्रोलर्स आफिस, जूनागढ़	गुजरात
2.	दि प्रोग्रेसिव्ह सिटीझन्स कोआपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड 154-डी, कमला नगर, देहली	देहली
3.	दि देहली यूनिवर्सिटी कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, देहली यूनिवर्सिटी, देहली-7 ।	देहली

के० सुब्बा रेड्डी

अपर मुख्य अधिकारी

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 26 अप्रैल 1979

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स्)

सं० 1 सी० ए० (112)/78—चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस एक्ट 1949 (1949 का 38वां) की धारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कौंसिल आफ दि इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया ने चार्टर्ड एकाएउन्टैन्टस रैगुलेशन्स 1964 में निम्नलिखित संशोधन किए, जो पहले ही प्रकाशित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं जैसा कि उपर्युक्त धारा की उपधारा (3) के अन्तर्गत अपेक्षित था ।

उपर्युक्त रैगुलेशन में :—

वर्तमान रैगुलेशन 37 के लिए, निम्नांकित बदल लें :—

'37 आर्टिकिल्स का रद्द करना "

(1) जब भी किसी आर्टिकिल्ड क्लर्क के विरुद्ध दुराचार अथवा रेगुलेशन 36 के उल्लंघन अथवा आर्टिकिल्स में उल्लिखित किसी प्रसंविदा के उल्लंघन की कोई शिकायत या सूचना मिलती है, तो जांच समिति इसकी छान-बीन कराएगी ।

(2) जांच समिति छानबीन की रिपोर्ट पर विचार करने और आर्टिकिल्स क्लर्क की सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात आर्टिकिल्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देगी अथवा ऐसे आर्टिकिल्स के अधीन पहले ही की गई किसी भी सीधी सेवा की अवधि की गणना अनुसूची 'बी' अथवा अनुसूची 'बी बी' जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के उद्देश्य के लिए नहीं की जाएगी ।

(3) आर्टिकिल्ड क्लर्क, जिसका रजिस्ट्रेशन इस रैगुलेशन के अधीन रद्द कर दिया गया है, को किसी भी सदस्य द्वारा आर्टिकिल्स अथवा आडिट क्लर्क के रूप में बिना जांच समिति की अनुमति के न तो अपने यहां रहने दिया जाएगा और न ही लिया जाएगा ।

2. रेगुलेशन 44 के अन्त में, निम्नांकित स्पष्टीकरण जोड़ लें :—

"स्पष्टीकरण : संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यार्थियों के लाभार्थ इंस्टीट्यूट; जिसमें क्षेत्रीय कौंसिल अथवा क्षेत्रीय कौंसिल की शाखा सम्मिलित है, द्वारा आयोजित कान्फ्रेन्स कोर्स अथवा सेमिनार में आर्टिकिल्ड क्लर्क की उपस्थिति, नियोक्ता की सहमति से, इन रैगुलेशन्स के अधीन ट्रेनिंग के भाग के रूप में मानी जाएगी ।"

3. रैगुलेशन 55 के अन्त में, निम्नांकित स्पष्टीकरण जोड़ लें :—

"स्पष्टीकरण : संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यार्थियों के लाभार्थ इंस्टीट्यूट, जिसमें क्षेत्रीय कौंसिल अथवा क्षेत्रीय कौंसिल की शाखा सम्मिलित है, द्वारा आयोजित कौंसिल, कोर्स अथवा सेमिनार में आडिट क्लर्क की उपस्थिति, नियोक्ता की सहमति से, इन रैगुलेशन्स के अधीन ट्रेनिंग के भाग के रूप में मानी जाएगी ।"

4. वर्तमान रैगुलेशन 56 के लिए, निम्नांकित बदल लें :—

56 आडिट सेवा को रद्द करना :

(1) जब भी किसी आडिट क्लर्क के विरुद्ध दुराचार अथवा रैगुलेशन 51 के उल्लंघन की कोई शिकायत या सूचना मिलती है तो जांच समिति इसकी छान-बीन कराएगी ।

(2) जांच समिति छानबीन की रिपोर्ट पर विचार करने और आडिट क्लर्क की सुनवाई का एक अवसर

प्रदान करने के पश्चात आडिट सेवा के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देगी अथवा आडिट सेवा की अवधि को बढ़ा देगी, अथवा आडिट क्लर्क के रूप में पहले की गई किसी भी सीधी सेवा की विधि की गणना अनुसूची 'बी' अथवा अनुसूची 'बी बी' जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के उद्देश्य के लिए नहीं की जाएगी ।

(3) आडिट क्लर्क, जिसकी आडिट सेवा का रजिस्ट्रेशन इस रैगुलेशन के अधीन रद्द कर दिया गया है, को किसी भी सदस्य द्वारा आडिट अथवा आर्टिकिल्स क्लर्क के रूप में बिना जांच समिति की अनुमति के न तो अपने यहां रहने दिया जाएगा और न ही लिया की जाएगा ।

5. अनुसूची 'बी' के पैराग्राफ 4 के वर्तमान द्वितीय उपबन्ध के लिए निम्नांकित बदल लें :—

"बशर्ते आगे यह भी कि किसी अभ्यर्थी को, जिसने 18 जुलाई 1964 की अथवा उसके बाद अपनी सेवा आरम्भ की है, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, यदि वह छह वर्ष के अन्दर अथवा उस बढाई हुई अवधि में जो कौंसिल द्वारा निर्धारित की जाएगी और परिस्थितियों का उल्लेख करेगी, उपर्युक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए ग्राह्य होने के तत्काल बाद होने वाली किसी भी आय परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है ।"

6. अनुसूची 'बी बी' के पैराग्राफ 4 के वर्तमान तृतीय अनुबन्ध के लिए, निम्नांकित बदल लें :—

"बशर्ते आगे यह भी कि किसी अभ्यर्थी को, जिसने 18 जुलाई 1964 की अथवा उसके बाद आर्टिकिल्ड अथवा आडिट सेवा प्रथम बार आरम्भ की है, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, यदि वह छह वर्ष के अन्दर इस तिथि से जिसकी वह उपयुक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए ग्राह्य हो जाता है अथवा ऐसी बढ़ाई हुई अवधि में जो कौंसिल द्वारा निर्धारित की जाएगी और परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा ।"

सं० 1-सी० ए० (114)/79—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रैगुलेशन्स, 1964 में किए जाने वाले निश्चित संशोधन का निम्नांकित मसविदा जो चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट, 1949 [1949 का 38वां (एक्ट)] के भाग 30 के उपभाग (1) और (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित किया गया है और उसके द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मसविदे पर 5 जून, 1979 को अथवा उसके पश्चात विचार किया जाएगा ।

उपर्युक्त मसविदे के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाएगा ।

उपर्युक्त रैगुलेशन्स में :—

(1) अनुसूची "बी" के पैराग्राफ 6 में, आगामी पैराग्राफ और वर्तमान उपबन्ध के बीच में निम्नांकित उपबन्ध जोड़ लिए जाएंगे और यह उपबन्ध 7 मई 1979 से जोड़े हुए माने जाएंगे; अर्थात

"बशर्ते कोई अभ्यर्थी उसी परीक्षा के दोनों ग्रुपों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा यदि उसने एक साथ लिए दोनों ग्रुपों में कुल अंकों का 50 प्रतिशत प्राप्त किया है, जो अन्य बातों के साथ उसने किसी एक ग्रुप के कुल अंकों का 50 प्रतिशत प्राप्त नहीं किया है ।"

(2) अनुसूची "बी" के पैराग्राफ 6 के वर्तमान उपबन्ध में शब्द "बशर्ते" और शब्द "कि एक अभ्यर्थी" के बीच शब्द "आगे" जोड़ ले ।

दिनांक 28 अप्रैल 1979

सं० 1-सी० ए० (106)/78—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट, 1949 (1949 का 38वां एक्ट) के भाग 30 के उपभाग (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंण्डिया ने चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स रेगुलेशन, 1964 में निम्नांकित संशोधन दिए है जो उपर्युक्त भाग के उप-भाग (3) के अधीन अपेक्षित पहले ही प्रकाशित और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

उपर्युक्त रैगुलेशन्स में, :—

वर्तमान रैगुलेशन्स 67 के लिए निम्नांकित बदल लें :—

"67 नामांकनों की छानबीन :—

(1) प्रत्येक चुनाव के लिए सभी अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की छानबीन के लिए कौंसिल एक पैनल की नियुक्ति करेगी ।

(2) पैनल के तीन व्यक्ति होंगे, जिसमें एक सचिव और शेष दो, एक्ट के भाग-9 के उप-भाग (2) की धारा (बी) में उल्लिखित, कौंसिल के सदस्यों में से जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारी होंगे, जो कौंसिल द्वारा नामांकित किए जाएंगे, बशर्ते ऐसे एक अथवा अधिक सदस्य यदि उपलब्ध नहीं है अथवा कार्य करने में रुचि नहीं रखते तब ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को जो कौंसिल द्वारा निर्णय किया जाए ।

(3) चुनाव, जिसके लिए पैनल नियुक्त किया गया, के लिए नामांकन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से पूर्व एक अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें पैनल के सदस्यों के नाम होंगे ;

(4) पैनल की अवधि चुनाव के पूरा होने पर, जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई थी, समाप्त हो जाएगी।

(5) पैनल को यह अधिकार होगा कि वह प्रक्रिया को उस रूप में नियमन करे जो वह उचित और शीघ्र कार्य के लिए ठीक समझे।

(6) अपने कार्य संचालन के लिए पैनल का कोरम दो होगा।

(7) पैनल के सदस्यों में से यदि एक या अधिक सदस्यों के किसी भी कारणवश कार्य न करने के फल-स्वरूप पैनल में कार्य स्थान रिक्त होता है तो सचिव द्वारा कौंसिल द्वारा पहले ही अनुमोदित व्यक्तियों की सूची में से रिक्त-स्थान की पूर्ति कर ली जाएगी।

(8) पैनल सभी अभ्यर्थियों के नामांकन-पत्रों की छान-बीन करेगा और प्रत्येक नामांकन पर यह पृष्ठांकित करेगा कि वह नामांकन को स्वीकार, अस्वीकार अथवा रद्द करता है।

(9) यदि पैनल नामांकन को अस्वीकार अथवा रद्द करता है तो वह उसके कारणों को संक्षिप्त रूप में रिकार्ड करेगा।

(10) पैनल नामांकनों को अस्वीकार अथवा रद्द कर सकता है, यदि वह उससे संतुष्ट हो कि —

(1) अभ्यर्थी चुनाव के लिए अयोग्य था, अथवा

(2) प्रस्तावक और अनुमोदक अभ्यर्थी के नामांकन के लिए, उपयुक्त फार्म में, अयोग्य था, अथवा

(3) अभ्यर्थी अथवा प्रस्तावक अथवा अनुमोदक के हस्ताक्षर असली नहीं है, अथवा

(5) रैगुलेशन्स 65 अथवा 66 के उपबन्धों के पालन में कोई कमी रही है।

स्पष्टीकरण 1

पैनल तकनीकी दोष, जो विशेष महत्व के नहीं है, के आधार पर नामांकन पत्र को रद्द नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 2

नामांकन की किसी भी अनियमितता के कारण अभ्यर्थी का नामांकन रद्द हो जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसी अभ्यर्थी के अन्य मान्य नामांकन को स्वीकार न किया जाए।

स्पष्टीकरण 3

यदि कोई प्रस्तावक अथवा अनुमोदन नामांकन पर हस्ताक्षर करने के बाद की तिथि का एक्ट और अथवा रैगुलेशन्स के उपबन्धों के अनुपालन के कारण निर्योग्यता करता है तो उसमें नामांकन अमान्य नहीं माना जाएगा।

(II) जहां एक या अधिक नामांकन पत्र प्रेषित किए गए और अभ्यर्थी के सभी नामांकन अस्वीकार अथवा रद्द कर दिए गए तो सचिव पैनल के निर्णय के बारे में जिसके साथ उसमें सम्बन्धित कारणों का संक्षिप्त विवरण होगा, सम्बन्धित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा नोटिस देगा।"

सं० 54-ई० एल० (1) 8/79—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन्स, 1964 के रैगुलेशन 112 के सब-रेगुलेशन (5) तथा सब-रेगुलेशन (7) के साथ पठित रेगुलेशन (67) के सब-रेगुलेशन (3) के अनुसरण में इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया की कौंसिल एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि वर्ष, 1979 में होने वाले इस्टीट्यूट की कौंसिल के ग्यारहवें चुनाव तथा इस्टीट्यूट की क्षेत्रीय कौंसिलों के दसवें चुनाव के लिए नामांकन की जांच हेतु पैनल में निम्न-लिखित व्यक्ति होंगे —

श्री एस० एम० डूगर
सदस्य, कम्पनी लॉ बोर्ड
डिपार्टमेंट आफ कम्पनी एफेयर्स
मिनिस्ट्री आफ लॉ,
जस्टिस एण्ड कम्पनी एफेयर्स,
शास्त्री भवन,
डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली।

श्री पी० एम० गोपालकृष्णन
सचिव, दि इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आफ इंडिया,
इन्द्रप्रस्थ मार्ग,
नई दिल्ली।

श्री टी० रंगाचारी
चैयरमैन,
आडिट बोर्ड,
एडीशनल डिप्टी कम्पट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल
आफ इंडिया,
10, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली।

पी० एम० गोपालकृष्णन, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 1979

सं० एन० 15/13/10/1/76-यो० एवं वि० (1)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनि-

यम 5 के उपविनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ष 'क' 'ख' तथा 'ग' के लिए प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियों नियत दिवस 21-4-79 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारम्भ व समाप्त होगी जैसा निम्न सूची में दिया गया है:—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क.	21.4.79	28.7.79	19.1.80	26.4.80
ख.	21.4.79	29.9.79	19.1.80	28.6.80
ग.	21.4.79	26.5.79	19.1.80	23.2.80

"अनुसूची :—जिला सम्बलपुर की तहसील और पुलिस स्टेशन सम्बलपुर सदेर के राजस्व ग्राम रेमेद, दरीपल्ली, बाराईपल्ली, सखी, गोपीनाथ, तालवाटा, खेत्राजपुर, पण्ड्री, पठार पुरी चाम्पा, एन्थपाली, खरीजामा, छात्र सागर, खांतालाई, गोपाल मल, सम्बल पुर, मारिक मण्डेर बालीनाथ, बोहिदारमल, कान्ता पेट, धुतुरीजादा बन्धा, सिद्धेश्वर बेर्ना, डेहरपाली, चारबती, टंगारपाली, सरला, सुनापाली, धनुपाल्ली, भटरा, बाद फामुदा, साम्बलेई पदार और दुर्गापल्ली की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्र।"

सं० एन-15/13/10/1/76-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 22.4.1979 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम, 95-क तथा उड़ीसा राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1951 में निर्दिष्ट हितलाभ उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे :

"अर्थात् :— जिला सम्बलपुर की तहसील और पुलिस स्टेशन सम्बलपुर सदेर के राज्य ग्राम रेमेद, दरीपल्ली, बाराईपल्ली, साखी, गोपीनाथ, तालवाटा, खेत्राजपुर पण्ड्री, पठार, पुरी चाम्पा, एन्थपाली, खरीजामा, छात्र सागर, खांतालाई, गोपाल मल, सम्बलपुर, मारिक मण्डेर, बालीबान्ध, बोहिदारमल, कान्तापेट, धुसुरीजादा बन्धा सिद्धेश्वर बेर्ना, डेहरीपाली, चारबती, टंगारपाली, सरला, सुनापाली, धनुपाल्ली, भटरा, बाद फामुदा साम्बलेई पदार और दुर्गा पाल्ली की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्र।"

फकीर चंद
निदेशक (योजना एवं विकास)

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम 1972 के अन्तर्गत निगमित)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1979

एफ नं० सी० ए० /47/79—इस अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे लिखे वास्तुविदों को, उनके मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों के उनके द्वारा खो देने पर उनके बदले में उनके नामों के आगे लिखी तारीखों को प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि जारी कर दी गई है :—

क्रम सं०	वास्तुविद का नाम व व्यावसायिक पता	रजिस्ट्रेशन नम्बर	जारी करने की तारीख
1.	श्री सूरज प्रकाश खन्ना आर०/715, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली।	सी०ए०/76/3048	3.3.79
2.	श्री आर० बी० रेले 9, शिव सदन, धनवाड़ी जे०एस०रोड़, (ठाकुर द्वार) बम्बई।	सी०ए०/77/3959	5.3.79
3.	श्री पी०डी० शर्मा 9, नेता जी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-2।	सी०ए०/75/1416	8.3.79
4.	श्री सुरजीत सिंह जी-1/918, सरोजनी नगर, नई दिल्ली।	सी०ए०/77/3782	19.3.79
5.	श्री ए०एम०अनकोलकर कर्मजी बिल्डिंग III-ए०एम०जी० रोड फोर्ट, बम्बई-23।	सी०ए०/76/3437	20.3.79
6.	श्री एम०आर०बरेरकर 103, आनन्द लोक नई दिल्ली-49।	सी०ए०/75/1179	29.3.79
7.	श्री शिबन गन्जू डी-28, डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली-24।	सी०ए०/751952	29.3.79

एफ० नं० सी० ए०/47/79—इस अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वास्तुकला परिषद्, नियमावली, 1973 के नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वास्तुविद को उसके मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के उसके द्वारा नष्ट कर दिये जाने पर उसके बदले

में उसके नाम के आगे लिखी तारीख को प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी कर दी गई है :—

क्रम सं०	वास्तुविद का नाम व व्यावसायिक पता	रजिस्ट्रेशन नं०	जारी करने की तारीख
1.	श्री एम०वाई०मदान कालकट हाऊस, 8, तामारीन्ड, लैन, बम्बई-400023।	सी०ए०/75/1191	23-2-79

के० वि० नारायणा अय्यंगार
रजिस्ट्रार

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1979

सा० का० नि०—केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी वृंद (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी वृंद (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1979 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी वृंद (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1971 में, नियम 10 के उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात:—

"(8) कर्मचारी अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य कर्मचारी की, जिसके अन्तर्गत कोई निवृत कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार का कोई निवृत्त कर्मचारी भी है, सहायता ले सकेगा, किन्तु इस प्रयोजनार्थ किसी विधि व्यवसायी को तब तक नही लगा सकेगा जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापन अधिकारी, विधि व्यवसायी नही हैं, या मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब तक अनुशासन प्राधिकारी ऐसा करने की अनुज्ञा न दें।

(8-क) निवृत कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के निवृत्त सेवक से सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ली जा सकेगी, अर्थात्:—

(1) सम्बन्धित निवृत कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार का निवृत सेवक, यथास्थिति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा से निवृत हुआ हो।

(2) निवृत कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार का निवृत सेवक एक समय में तीन से अधिक मामले नही लेगा। जांच अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने के समय निवृत कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के निवृत सेवक को यह प्रमाणित करना होगा कि उस समय उसके हाथ में तीन से अधिक मामले नही है।

(3) निवृत कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार का निवृत सेवक अपनी निवृति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात अनुशासनिक कार्यवाही में किसी कर्मचारी की सहायता नहीं कर सकेगा। निवृत कर्मचारियों या केन्द्रीय सरकार के निवृत सेवक को अपनी निवृति की तारीख के सम्बन्ध में जांच अधिकारी के समक्ष एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

(4) यदि निवृत कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार का निवृत सेवक भी कोई विधि व्यवसायी है तो, अपचारी कर्मचारी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपनियम (8) में यथा विनिर्दिष्ट विधि व्यवसायी रखने पर निर्बंधन लागू होंगे।

(5) अनुशासनिक कार्यवाहियों में किसी कर्मचारी की सहायता करने वाले निवृत कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के निवृत सेवक को यात्रा और अन्य खर्चों के संदाय के मामले में, समय-समय पर यथासंशोधित, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 16/122/56 ए वी बी डी, तारीख 18—8—1960 में दिए गए अनुदेश, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। संबद्ध निवृत कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार के निवृत सेवक को इन अनुदेशों के प्रयोजनार्थ यथास्थिति, संगठन या केन्द्रीय सरकार के सरकारी सेवकों या कर्मचारियों की ऐसी श्रेणी का समझा जाएगा, जिसका वह अपनी निवृति के ठीक पूर्व था। यात्रा और अन्य खर्चों की बाबत व्यय उस कार्यालय द्वारा वहन किया न जाएगा, जिस संठगन का अपचारी कर्मचारी है।

सी० लाल
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और
सचिव
केन्द्रीय न्यासी मण्डल

प्राप्तियां

खादी और ग्रामोद्योग
31-3-1977 तक की स्थिति दर्शाते हुए

क्रमांक	विवरण	अथशेष रू०	प्राप्तियां रू०	वापसी रू०	इतिशेष रू०	
अनुलग्नक 'अ'	I. सरकार से प्राप्त ऋण					
	खादी .	73,84,14,442	*16,08,60,553	£9,20,38,080	80,72,36,915	
	ग्रामोद्योग .	39,82,21,243	*12,46,93,823	@8,15,94,381	+44,13,20,685	
	योग .	1,13,66,35,685	28,55,54,376	17,36,32,461	1,24,85,57,600	1,24,65,57,600
अनुलग्नक 'अ'	II. सरकार से प्राप्त अग्रिम					
	खादी .	68,54,584	अधोलिखित मद III को स्थानांतरित			
	ग्रामोद्योग .	1,43,929				
	योग .	69,98,513				
अनुलग्नक 'अ'	III. व्यापारिक गतिविधियों के लिये सरकार से प्राप्तियां					
	खादी .	A7,61,87,349—	1,51,01,599	—	9,12,88,948	
	ग्रामोद्योग .	1,61,41,884	—	B11,50,000	1,49,91,884	
	योग .	9,23,29,233	1,51,01,599	B11,50,000	10,62,80,832	10,62,80,832
अनुलग्नक 'अ'	IV. अनुदान तथा संबन्ध प्राप्तियां	खादी	ग्रामोद्योग	योग		
	(i) राज्य मंडलों तथा संस्थानों को दिये गये अग्रिमों सहित अथशेष	1,81,86,813	79,50,365	2,61,37,378		
	(ii) सरकार से प्राप्त अनुदान	C6,65,51,000	D1,93,43,000	8,58,94,000		
	(iii) सरकार से प्रशासन के लिये (योजनेतर) प्राप्त अनुदान	2,28,74,163	2,24,25,837	4,53,00,000		
अनुलग्नक 'आ'	संस्थाओं से प्राप्त वापसियां (अनुपयोगित अनुदान आदि) .	39,98,322	48,99,194	88,97,516		
	योग .	11,16,10,298	45,6,18,596	16,62,28,894		16,62,28,894
अनुलग्नक 'इ'	V विविध प्राप्तियां	35,60,402	15,02,270	50,62,672		50,62,672
अनुलग्नक 'ई'	VI जमा .					
	अथशेष .	15,943	52,099	68,042		
	प्राप्तियां .	49,368	—	49,368		
	घटाया : वापसियां	2,393	52,099	54,492		
	शुद्ध शेष .	62,918	—	62,918		62,918